

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

पत्रांक २१५५ / सीवान, दिनांक २५/१०/२४  
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

सेवा में,

मौज़ुदे रिक्त

नाम - तृतैर्ली

पाठ - बड़ूश्चिया

जिला - सिवान

विषय:- PMOSY/MMOSY/3054 MR/GTSNY अन्तर्गत TOS से राजेन्द्र चौधरी  
के घर तक पथ के रुटीन अनुरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश देना है कि विषयांकित पथ पाँच वर्षीय अनुरक्षण के अधीन है। इस पथ में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। जो कि एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं का घोर उलंघन है। इस संबंध में इसके पूर्व भी कई बार मौखिक/लिखित रूप से भी निदेश दिया गया है। साथ ही इस विषय पर विभाग द्वारा भी आपति जतायी गई है।

अतः विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पथ में अनुरक्षण कार्य पत्र प्राप्ति के तीन दिनों में संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की देख रेख में पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे, अन्यथा एकरारनामा/एस०बी०डी०/एम०बी०डी० के सुसंगत कंडिकाओं 17 एवं 33 के तहत आपके एकरारनामा को विखंडित कर काली सूची में दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारियों को अनुशंसा कर दी जायेगी।

कृपया इस पत्र को गंभिरता से ले।

विश्वासभाजन,

25/10/24

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

पत्रांक २१५५ / सीवान, दिनांक २५/१०/२४  
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।  
सेवा में,

मौर रफिक  
आम-तत्त्वजीवी  
पीर-धृष्टदशा  
जिला-सियाज

विषय:- PMGSY/MMGSY/3054 MR/GTSNY अन्तर्गत ८०६ से मुश्ति

टोला

पथ के रुटीन अनुरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश देना है कि विषयांकित पथ पॉच वर्षीय अनुरक्षण के अधीन है। इस पथ में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। जो कि एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं का घोर उलंघन है। इस संबंध में इसके पूर्व भी कई बार मौखिक/लिखित रूप से भी निदेश दिया गया है। साथ ही इस विषय पर विभाग द्वारा भी आपति जतायी गई है।

अतः विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पथ में अनुरक्षण कार्य पत्र प्राप्ति के तीन दिनों में संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की देख रेख में पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे, अन्यथा एकरारनामा/एस०बी०डी०/एम०बी०डी० के सुसंगत कंडिकाओं 17 एवं 33 के तहत आपके एकरारनामा को विखंडित कर काली सूची में दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारियों को अनुशंसा कर दी जायेगी।

कृपया इस पत्र को गंभिरता से ले।

विश्वासभाजन,

25/10/24

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

पत्रांक.....२१५६ / सीवान, दिनांक.....२५/१०/२४  
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

सेवा में,

कमलेश कुमार सिंह

ठाम - शुभदी

पौर - जननिधा पट्टी (स्प्रिंग)

लिला - लिला

विषय:- PMGSY/MMGSY/3054 MR/GTSNY/अन्तर्गत ..... अरजल वाजर से

में ट्राफ़ाली मॉजे और इन्होंने एक अनुरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश देना है कि विषयांकित पथ पाँच वर्षीय अनुरक्षण के अधीन है। इस पथ में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। जो कि एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं का घोर उलंघन है। इस संबंध में इसके पूर्व भी कई बार मौखिक/लिखित रूप से भी निदेश दिया गया है। साथ ही इस विषय पर विभाग द्वारा भी आपति जतायी गई है।

अतः विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पथ में अनुरक्षण कार्य पत्र प्राप्ति के तीन दिनों में संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की देख रेख में पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे, अन्यथा एकरारनामा/एस०बी०डी०/एम०बी०डी० के सुसंगत कंडिकाओं 17 एवं 33 के तहत आपके एकरारनामा को विचारित कर काली सूची में दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारियों को अनुशंसा कर दी जायेगी।

कृपया इस पत्र को गंभिरता से ले।

विश्वासभाजन,

*ferash*  
25/10/24

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01